



सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस



प्रेस नोट- दिनांक 07.03.2024

❖ सेल्समैन को गोली मार कर घायल करने वाले अभियुक्त को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।

❖ **अभियुक्त की निशादेही पर 01 अवैध तमंचा, 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर, किया गया बरामद।**

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में थाना बकेवर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 27.03.2024 को वादी मंजीत पुत्र कमलेश कुमार निवासी ग्राम चन्द्रपुरा शाला थाना बकेवर जनपद इटावा द्वारा थाना बकेवर पर सूचना दी गयी कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी के पिता कमलेश कुमार पर जान से मारने की नियत से फायर करके घायल कर दिया गया, **सूचना पर तत्काल थाना बकेवर पर मु0अ0सं0 96/2024 धारा 307 भादवि पंजीकृत किया गया।**

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

आगामी लोकसभा निर्वाचन-2024 एवं वाँछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 07.04.2024 को थाना बकेवर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नागरी लोलपुर पर भ्रमणशील थी इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुयी कि मु0अ0सं0 96/2024 से सम्बन्धित अभियुक्त नौधना ग्राम की पुलिया के पास कहीं जाने की फिराक में खड़ा है, सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुये थाना बकेवर पुलिस टीम द्वारा **अभियुक्त सूर्यभान पुत्र रामप्रकाश को नौधना ग्राम पुलिया के पास से समय करीब 05.55 बजे गिरफ्तार किया गया।**

पुलिस पूछताछ:

गिरफ्तार अभियुक्त से पुलिस टीम द्वारा पूछताछ की गयी तो उसके द्वारा बताया गया कि मैंने अपने भाई चन्द्रभान की नौकरी लगवाने के लालच में आकर अपने 02 अन्य साथियों के साथ योजना बनाकर कमलेश के ऊपर गोली चलवाकर उसे घायल कर दिया था।

अभियुक्त की निशादेही के आधार पर 01 अवैध तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में मु0अ0सं0 96/2024 धारा 307 भादवि में धारा 34/120B व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. **सूर्यभान पुत्र रामप्रकाश निवासी ग्राम नौधना थाना बकेवर जनपद इटावा उम्र 38 वर्ष।**

पंजीकृत अभियोग:-

1. मु0अ0सं0 96/2024 धारा 307/34/120B भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट भादवि थाना बकेवर जनपद इटावा।

बरामदगी:-

1. 01 अवैध तमंचा 315 बोर (घटना में प्रयुक्त)
2. 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर
3. 01 खोखा कारतूस 315 बोर
4. 01 मोबाइल इनफिनक्स कम्पनी

पुलिस टीम- नि० श्री राकेश कुमार शर्मा प्रभारी थाना बकेवर, उ०नि० रविन्द्र कुमार निषाद, हे०का० राम सनेही, का० रविन्द्र चौहान ।